न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1624

1. भागीरथ पुत्र माला, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम देसूसर, तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।

– रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं ने मुकदमा संख्या 293/2025 निर्णय दिनांक 17.07.2025 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्ध पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री प्रहलाद चौधरी, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 09.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 17.07.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 26.08.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 17.07.2025 को पटवार मण्डल प्रतापपुरा के राजस्व ग्राम देसूसर के हाल भूमि खसरा नम्बर 500/436, 330, 331, 520/236 में से जाने वाला प्रचलित रास्ता जो मौके पर निर्बाध रूप से चालू हालत में है तथा आवागमन में कोई बाधा नहीं है। इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा सहित मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 17.07.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्सा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहने एवं प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2025 पारित किये गये है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 17.07.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट भागीरथ पुत्र माला द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड

अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं दिनांक 17.07.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी झुन्झूनू ने विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक बिन्दु को समझे बिना कतई गलत मनमाना निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना समय सूचना, साक्ष्य समर्थन का अवसर दिये बिना ही उक्त आदेश बिना अपीलान्ट को पक्षकार संयोजित किये ही पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता खसरा नम्बर 330 की उत्तरी पूर्वी दिशा में जो डोडेट लाईन रास्ता अंकित किया है वह गलत तरीके से अपीलान्ट की भूमि को कम करने के आशय से कटान किया गया है जबकि रास्ता खसरा नम्बर 330 की उत्तरी दिशा से लगता खसरा नम्बर 331 में चालू था जिसे नहीं समझकर गलत तरीके से खसरा नम्बर 330 की उत्तरी पूर्वी दिशा में जो रास्ता काटा गया है व विधि विरुद्ध व गलत तरीके से पारित किया गया है जो पूर्व में चालू रास्ते के विपरीत कटान कर रास्ता प्रदत्त किया गया है इसलिये अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। उक्त आदेश की पालना में दिये गया रास्ते से अपीलान्ट की भूमि को दो भागों में विभक्त कर रहा है तथा खसरा नम्बर 330 की उत्तरी पूर्वी दिशा में भी अपीलान्ट की भूमि को जबरिया कम किये जाने की कोशिश भी उक्त अपीलाधीन आदेश के माध्यम से की जा रही है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 3(2) राज–6/2003/ पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 परिपत्र क्रमांक प. 3 (17) राज–6/2021 पार्ट/91 दिनांक 30.09.2021 में स्पष्ट अंकन किया है कि पक्षकारान को सूचना प्रतिसमन द्वारा दी जायेगी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रिकोर्ड काबिज खातेदार काश्तकारान को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना नोटिस प्रदत्त किये जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय राजस्थान सरकार के उपरोक्त परिपत्र के आधार पर पारित किया है जबकि विधि अनुसार उक्त परिपत्र मात्र लोक अदालत अभियान की अवधि तक ही था। तथा विधि अनुसार भी परिपत्र की अवधि 6 माह की होती है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र अन्य प्रभावशील लोगों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जी की एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर बिना मौका देखे व बिना मौके का सत्यापन किये कुछ लोगों को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम कानूनी तथ्यों को नजर अंदाज करते हुये जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य प्रभावशाली लोगो को नाजायज लाभ पहुंचाने की गरज से बिना सुनवाई का अवसर दिये जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो वास्तविक तथ्यों को समझे बिना प्रदत्त किया है अधीनस्थ न्यायालय ने इस अहम कानूनी तथ्य को नही समझकर जो अपीलाधीन निर्णय पातिर किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो प्रकरण को दर्ज किया गया ना ही समुचित सुनवाई का अवसर अपीलान्ट को प्रदत्त किया गया उक्त समस्त कार्यवाही पोसीदा रूप से अपीलान्ट को उनके विधिक अधिकारों से महरूम करने के उद्देश्य से की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही दी। दिनांक 04.08.2025 को कुछ राजस्व कर्मचारी अपीलान्ट की भूमि पर रास्ते के लिये नाप जोख करने लगे जिस पर अपीलान्ट द्वारा भूमि नाप जोख का कारण पूछा तो उनके द्वारा अपीलाधीन आदेश की जानकारी देने पर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 06.08.2025 को प्राप्त कर एवं अधिवक्ता से कानूनी राय व सलाह लेकर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। अधीनस्थ न्यायालय ने नैर्सिग न्याय के सिंद्वान्त की अन्देखी करते हुये जो निर्णय पारित किया है वह गलत है। अपीलान्ट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है ओर अपीलान्ट को बिना पक्षकार मुकदमा बनाये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये उक्त निर्णय पारित किया है अपीलान्ट उक्त निर्णय से हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार है।

अपीलान्ट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है ओर अपीलान्ट को बिना पक्षकार मुकदमा बनाये एंव बिना सुनवाई का अवसर दिये उक्त निर्णय पारित किया है अपीलान्ट उक्त निर्णय से हितबद्ध व प्रभावित पक्षकार है। अपीलान्ट खसरा नम्बर 330 का खातेदार काश्तकार है। अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई सूचना व सुनवाई का अवसर नही दिया गया है तथा अपीलाधीन आराजी में अपीलान्ट के हक अधिकार तय होना शेष है इसलिये अपीलान्ट अपीलाधीन भूमि व आदेश से प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार है जिसे पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान करने की कृपा करें। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर निर्णय विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 17.07.2025 प्रार्थना पत्र संख्या 293/2025 को निरस्त किया जावें तथा अन्य न्यायोचित आदेश जो माननीय न्यायालय उचित समझे ओर अता फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 17.07.2025 को पटवार मण्डल प्रतापपुरा के राजस्व ग्राम देसूसर के हाल भूमि खसरा नम्बर 500/436, 330, 331, 520/236 में से जाने वाला प्रचलित रास्ता जो मौके पर निर्बाध रूप से चालू हालत में है तथा आवागमन में कोई बाधा नहीं है। इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा सहित मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.3(2) राज–6/2003 पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.3(17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 17.07.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झुन्झुनूं को आदेशित किया गया कि वे मुताबिक रास्ता प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों के विरूद्ध किसी अन्य सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक रास्ता प्रस्ताव व संलग्न नक्सा ट्रेस राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने, रास्ता प्रस्ताव आदेश का अभिन्न अंग रहने एवं प्रचलित रास्ते का रकबा जो खातेदारी भूमि में पड रहा है वह गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के उपरान्त भी निजी खातेदारी में ही रहने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2025 पारित किये गये है।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.07.2025 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.07.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.07.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर